"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85 ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 मार्च 2017— फाल्गुन 27, शक 1938

### छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण कमांक एफ–68–143/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/2120 रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

1. गणेश सोनी (बाबा), अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत राजिम जिला गरियाबन्द, छ.ग.
2. देवेन्द्र कुमार शर्मा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत राजिम जिला गरियाबन्द, छ.ग.
3. सुल्तान सिंह सतनाम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत राजिम जिला गरियाबन्द, छ.ग.
4. राजा ठाकुर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत राजिम जिला गरियाबन्द, छ.ग.

### आदेश

( छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–ख के अन्तर्गत )
पारित दिनांक 14 फरवरी, 2017.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), गरियाबन्द के प्रतिवेदन दिनांक 8 जून 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–ख के तहत प्रारंभ किया गया है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत राजिम के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 9 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था। निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), गरियाबन्द ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 8 जून 2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत राजिम के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों गणश सोनी (बाबा), देवेन्द्र कुमार शर्मा, सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), गरियाबन्द के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों गणेश सोनी (बाबा), देवेन्द्र कुमार शर्मा, सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर को दिनांक 27–7–2015 को अधिनियम की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–क एवं 32–ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूध्द अधिनियम की धारा 32–ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के

लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए। उक्त कारण बताओ सूचना सम्यक् रूपसे तामील नहीं होने के कारण पुनः दिनांक 23—5—2016 कारण बताओ सूचना जारी की गई जो अभ्यर्थियों गणेश सोनी (बाबा), देवेन्द्र कुमार शर्मा, सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर को दिनांक 2—6—2016 को सम्यक रूप से तामील की गई। अभ्यर्थी देवेन्द्र कुमार शर्मा को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में यह माना गया कि अभ्यर्थी देवेन्द्र कुमार शर्मा को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार अभ्यर्थी देवेन्द्र कुमार शर्मा के विरूध्द दिनांक 7—12—.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी गणेश सोनी (बाबा) ने अपना जवाब दिनांक 13—6—2016 को मय निर्वाचन व्यय लेखा संलग्न आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 4—1—2015 को सक्षम अधिकृत अधिकारी गरियाबन्द के समक्ष प्रस्तुत करने गया था, अधिकारी उपस्थित नहीं होने के कारण आवेदन पत्र दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं हो पाया जो जवाब के साथ संलग्न प्रस्तुत कर स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. अभ्यर्थी राजा ठाकुर ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 7—6—2016 को मय निर्वाचन व्यय लेखा संलग्न आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 22—1—2015 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गरियाबन्द के कार्यालय में उनसे मिला था उनके द्वारा कहा गया कि निर्वाचन व्यय लेखा शुक्लाजी के पास जमा करा देवें लेकिन जिला निर्वाचन शाखा में शुक्लाजी के उपस्थित नहीं रहने के कारण उनका निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं हो पाया। निर्वाचन व्यय लेखा आवेदन के साथ संलग्न कर उसे स्वीकार करने का निवेदन भी अभ्यर्थी द्वारा किया गया।

6. अभ्यर्थी सुल्तान सिंह सतनाम ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 7—6—2016 को आयोग कार्यालय में मय पावती की छाया प्रति प्रस्तुत किया। जिसमें मुख्य रूपसे यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 16—2—2015 को जिला निर्वाचन अधिकारी गरियाबन्द के कार्यालय में जमा करा दिया है।

7. अभ्यर्थियों गणेश सोनी (बाबा), सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), गरियाबन्द का अभिमत प्राप्त किया गया । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), गरियाबन्द द्वारा पत्र क्रमांक 1329/स्था.निर्वा./पचां.निर्वा./व्यय.लेखा./2016, दिनांक 22—7—2016 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थीगण गणेश सोनी (बाबा) एवं राजा ठाकुर द्वारा सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होने के कारण व्यय लेखा जमा नहीं करा पाये, बताना गलत है क्योंकि व्यय लेखा जांच कर जमा किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी जो नियमित रूपसे जिला कार्यालय में बैठकर व्यय लेखा की जांच करते थे तथा निर्धारित अवधि तक निर्वाचन व्यय लेखा जमा किये गये थे। अभ्यर्थी सुल्तान सिंह सतनाम द्वारा दिनांक 16—2—2015 को निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया गया है।

8. अभ्यर्थियों गणेष सोनी (बाबा), सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में सुनवाई हेतु उन्हें दिनांक 24 जनवरी 2017 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी गणेश सोनी (बाबा) उपस्थित हुए उनका शपथपूर्वक कथन लिपिबध्द किया गया। अभ्यर्थी द्वारा शपथपूर्वक कथन में मुख्य रूप से यह दर्शाया गया कि वे निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय गये थे परन्तु वहां बताया गया कि निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है अतः राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा करें। उन्होंने दिनांक 12—6—2016 को राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया था।

9. अभ्यर्थीगण सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक 24 जनवरी 2017 को सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। अतः यह मानते हुए हुए उक्त अभ्यर्थीगण को प्रकरण में अपने जवाब के समर्थन में कुछ और नहीं कहना है, उनके विरूध्द दिनांक 24—1—2017 को एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

10. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), गरियाबन्द ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों गणेश सोनी (बाबा), देवेन्द्र कुमार शर्मा, सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया। यह अधिनियम की धारा 32—क (1) एवं 32—ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 32—क (1) निम्नानुसार है :

''**धारा 32—क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—** प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा।'' इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32—क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग

लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 32–ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32–ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना–** अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32–क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा।"

अधिनियम की धारा 32–ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है। अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था।

11. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), गरियाबन्द के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत राजिम के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों गणेष सोनी (बाबा), सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर ने अधिनियम की धारा 32–क (1) तथा धारा 32–ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया। अभ्यर्थी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने अधिनियम की धारा 32–क (1) तथा धारा 32–ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया। अभ्यर्थी गणेश सोनी (बाबा) ने अपने जवाब के सन्दर्भ व्यक्तिगत सुनवाई में शपथपूर्वक कथन में यह उल्लेख किया कि वे निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय गये थे परन्तु वहां बताया गया कि निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है अतः राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा करें। उनके द्वारा जवाब में एवं शपथपूर्वक कथन में यह नहीं बताया गया कि वे निर्धारित समयसीमा में निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने किस तिथि को जिला निर्वाचन कार्यालय गये थे तथा इस हेतु क्या प्रयत्न किया। अभ्यर्थी अपने कथन के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् उन्होंने दिनांक 12–6–2016 को राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया। उनके जवाब के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), गरियाबन्द द्वारा अभिमत में अभ्यर्थीगण गणेश सोनी (बाबा) एवं राजा ठाकुर द्वारा सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होने के कारण व्यय लेखा जमा नहीं करा पाये, को गलत बताया गया है। अभ्यर्थीगण सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर जवाब के सन्दर्भ में सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक को आहूत किये जाने पर सूचना उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए तथा इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण गणेश सोनी (बाबा), देवेन्द्र कुमार शर्मा, सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं। तदनुसार अधिनियम की धारा 32–ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों गणेश सोनी (बाबा), देवेन्द्र कुमार शर्मा, सुल्तान सिंह सतनाम एवं राजा ठाकुर को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32–ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 32–ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।

12. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 14 फरवरी 2017 को जारी किया गया।

हस्ता. / –

(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.